

**न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिलाभिण्ड**

(समक्ष: पी०सी०आर्य)

दांडिक अपील क्रमांक: 410 / 2015

संस्थित दिनांक-30 / 11 / 2015

फाइलिंग नंबर-230303019682015

विजयराम पुत्र ग्यासीराम सीसोदिया  
आयु 53 साल निवासी ग्राम पिपरसाना  
थाना गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

वि रू द्ध

.....अपीलार्थी / अभियुक्त

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र मालनपुर, जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....प्रत्यर्थी / अभियोगी

राज्य द्वारा श्री भगवानदास बघेल अपर लोक अभियोजक।

अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा श्री अशोक पचौरी अधिवक्ता।

न्यायालय-श्री पंकज शर्मा, जे.एम.एफ.सी., गोहद, द्वारा दांडिक  
प्रकरण क्रमांक-486 / 2014 ई०फौ० में निर्णय व दण्डाज्ञा  
दिनांक 05 / 11 / 2015 से उत्पन्न दांडिक अपील ।

**-:- निर्णय -:-**

(आज दिनांक **17 मार्च 2017** को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अपीलार्थी/अभियुक्त विजयराम की ओर से उक्त दांडिक अपील धारा-374 द०प्र०सं० 1973 के अंतर्गत न्यायालय जे०एम०एफ०सी० गोहद, श्री पंकज शर्मा द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 486 / 2014 ई०फौ० निर्णय दिनांक-05 / 11 / 2015 के निर्णय एवं दण्डाज्ञा से विक्षुप्त होकर प्रस्तुत की है, जिसमें विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी को धारा-25(1-बी)(ए) आयुध अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध करते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास और पांच सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
2. प्रकरण में यह निर्विवादित है, कि अभियुक्त/अपीलार्थी ग्राम पिपरसान तहसील गोहद का निवासी है।
3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि, दिनांक 06 / 04 / 14 को उपनिरीक्षक डिंपल मौर्य रात्रि कस्बा गश्त हेतु आरक्षक क्रमांक 03 इन्द्र सिंह एवं शासकीय वाहन चालक दिनेश शर्मा के साथ रवाना हुई थी, थाने से रवाना होकर सूर्या फैंक्ट्री, करलोन फैंक्ट्री तिराहा गश्त करते हुए पहुंची तभी एक व्यक्ति पुलिस की गाडी को देखकर

छिपने लगा, जिसे हमराह आरक्षक की मदद से सुबह करीबन 04:15 बजे घेरकर पकड़ा गया। उक्त व्यक्ति की तलाशी ली तो बाईं तरफ पेंट में बेल्ट के नीचे एक 315 बोर का देशी कट्टा लगा हुआ मिला, उक्त कट्टे को खोलकर देखने पर एक 315 बोर का जिंदा कारतूस उसकी बेरल में लगा मिला, आरोपी से नाम एवं पता पूछने पर उसने अपना नाम विजयराम पुत्र ग्यासीराम सिसोदिया उम्र 50 वर्ष निवासी पिपरसाना थाना गोहद का होना बताया। साक्षीगण आरक्षक इंद्र सिंह एवं स्वतंत्र साक्षी विनोद शर्मा के समक्ष आरोपी से कट्टा एवं कारतूस जब्त कर शील्ड कर विधिवत जब्ती पंचनामा बनाया गया है तथा साक्षीगण के समक्ष आरोपी विजयराम को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया, तत्पश्चात थाने वापिस आकर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 79/14 अंतर्गत धारा-25/27 आयुध अधिनियम पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। प्रकरण की विवेचना के दौरान साक्षी आरक्षक क्रमांक 03 इंद्र सिंह एवं विनोद शर्मा के कथन लेखबद्ध कर, जब्तशुदा कट्टा एवं कारतूस के परीक्षण उपरांत अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर मामला विचारण हेतु सक्षम जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियोगपत्र एवं उसके साथ संलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा-25(1-बी)(ए) आयुध अधिनियम के तहत आरोप लगाये जाने पर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया, उसका विचारण किया गया, विचारणोपरांत अपीलार्थी/अभियुक्त को धारा-25(1-बी)(ए) आयुध अधिनियम में दोषी पाते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500/-रुपये (पांच सौ रुपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, जिससे व्यथित होकर यह दाण्डिक अपील प्रस्तुत की गयी है।
5. अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत की गई दाण्डिक अपील में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय व दण्डाज्ञा को चुनौती देते हुए यह आधार लिया है, कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय में विधि के सुस्थापित सिद्धांतों एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य का उचित मूल्यांकन नहीं किया है और त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है, क्योंकि फरियादी पक्ष के ड्यूटी एवं उपस्थिति संबंधी कोई रोजनामचा सान्हा प्रकरण में पेश नहीं किया है, जो कि महत्वपूर्ण दस्तावेज है साक्षीगण पुलिसकर्मी है उनकी रवानगी वापिसी का प्रमाण नहीं है, जिसके अभाव में अभियोजन का मामला संदिग्ध है और एफ0आई0आर0 में भी रोजनामचा सान्हा का कॉलम रिक्त है, जबकि कथानक को प्रमाणित करने का प्रबल भार अभियोजन पर होता है, कि वह अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह प्रमाणित करे, किंतु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने रोजनामचा सान्हा रवानगी के अभाव को मूल्यांकन में नहीं लिया है, घटनास्थल का कोई नजरी नक्शा भी नहीं है, तथा एफ0आई0आर0 में घटनास्थल से थाने की दूरी का भी उल्लेख नहीं किया है, जो कि नक्शे के अभाव में अत्यंत आवश्यक होती है, परीक्षित अभियोजन साक्षी आपस में पुलिसकर्मी होकर हितबद्ध साक्षी है, उनके कथनों में भी गंभीर विरोधाभास और विसंगतियां हैं, जो भी संदेह

उत्पन्न करती है, आरक्षक इन्द्रसिंह अ0सा0-04 के द्वारा विवेचक की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया गया है और एक मात्र स्वतंत्र साक्षी विनोद शर्मा अ0सा0-05 ही परीक्षित हुआ है, जिसने भी अभियोजन का कोई समर्थन नहीं किया है, अभियुक्त/अपीलार्थी ग्रामीण होकर प्रौढ़ अवस्था का है, कृषि कार्य करता है, गांव पिपरसाना थाना गोहद का निवासी है, उसका कोई आपराधिक चरित्र नहीं है, इन बिन्दुओं को भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनदेखा किया गया है, इसलिए अभियोजन की विश्वसनीय साक्ष्य न होने के बावजूद विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आयुध अधिनियम के मामले में दोषसिद्धि कर दण्डाज्ञा अधिरोपित कर गंभीर विधिक त्रुटि की है, इसलिए दांडिक अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य निर्णय दिनांकित 05/11/15 को निरस्त करते हुए, अभियुक्त/अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जाए।

6. अब प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष अपील के निराकरण हेतु मुख्य रूप से निम्न बिन्दु विचारणीय है :-

1- "क्या, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित मानकर उसे इस अपराध में दोषसिद्ध कर दंडित करने में विधि या तथ्य की भूल की गई है?"

2- क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई दण्डाज्ञा कठोर है ?

—:- **निष्कर्ष के आधार** —:-

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एवं विश्लेषण

7. उपरोक्त दोनों विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिये एवं सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है।

8. अभियुक्त/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील ज्ञापन में उठाए गए बिन्दुओं और लिए गए आधारों अनुरूप अपने अंतिक तर्कों में दोषमुक्ति के आधार बताए है, और यह तर्क भी किया है, कि अभियुक्त/अपीलार्थी पेंट शर्ट नहीं पहनाता है बल्कि धौती कुर्ता पहनता है, और गिरफ्तारीपत्रक तथा न्यायिक रिमांड के आवेदनपत्रों पर भी जो फोटो चष्पा है उससे भी इस बात की पुष्टि होती है, जिससे अभियोजन का मामला संदिग्ध है, घटना को किसी भी स्वतंत्र साक्षी का समर्थन भी नहीं है, पुलिस साक्षियों के कथनों में आपस में विरोधाभासी स्थिति है, तथा अभियुक्त किस रंग के कपड़े पहने था यह भी किसी भी साक्षी ने स्पष्ट नहीं किया है, न दस्तावेजों में अंकित है, हमराह पुलिस आरक्षक इन्द्रसिंह अ0सा0-04 ने कट्टा कारतूस थाने पर शील्ड किया जाना बताया है, जिससे अभियोजन की कार्यवाही पूरी तरह संदिग्ध हो जाती है, जो अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई है, वह भी औपचारिक है, क्योंकि तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षरों के नीचे कोई दिनांक

अंकित नहीं की है और कम्प्यूटरीकृत प्रारूप में अभियोजन स्वीकृति दी गई है, जिसमें ऊपर दिनांक हस्तलिपि में है, यदि पूरे प्रकरण का परीक्षण कर अभियोजन स्वीकृति दी जाती तो उसमें दिनांक भी टंकित की जाती तथा अभियुक्त प्रौढ अवस्था का है, उसका कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है और उसे विरोधीओं के कहने पर पुलिस ने झूठा फंसा दिया है, इसलिए अभियोजन का मामला संदिग्ध है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त बिन्दुओं पर कोई ध्यान नहीं दिया है और विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के प्रतिकूल जाकर आलोच्य निर्णय में निष्कर्ष निकाले है, अभियुक्त/अपीलार्थी का सुपरफैक्स फैक्ट्री के सामने मालनपुर में पकड़ा जाना कहा गया है, लेकिन रवानगी वापिसी का कोई प्रमाण पेश नहीं किया है, विवेचक ने यह भी स्वीकार किया है, कि पुलिस अधीक्षक द्वारा विशेष रूप से भिण्ड जिले में थाना प्रभारियों को शराब और कट्टा जब्ती के संबंध में टारगेट दिया जाता है, उसी टारगेट के तहत उक्त मामला बनाया गया था, इस ओर भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, इसलिए अपील स्वीकार की जाए और अपीलार्थी/अभियुक्त को आलोच्य निर्णय अपास्त करते हुए दोषमुक्त किया जाए।

9. विद्वान ए0जी0पी0 द्वारा अपने अंतिम तर्कों में अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के अंतिम तर्कों का खण्डन करते हुए यह तर्क किया है, कि भिण्ड जिले में अवैध हथियारों को लेकर चलने का प्रचलन और प्रथा है, इसलिए अभियुक्त/अपीलार्थी का पूर्वतन आपराधिक इतिहास न होने के आधार पर उसका संदेह होना नहीं माना जा सकता है और पुलिस द्वारा पदीय हैसियत से अपराधों की रोकथाम की जाती है, इसलिए पुलिस साक्षी होने के आधार पर या शासकीय सेवक होने के आधार पर अभियोजन साक्षियों को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है, जो आधार विद्वान अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा लिए गए हैं, उन्हें साक्षियों की प्रतिपरीक्षा में और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया गया है, इसलिए अपील स्तर पर उक्त तर्क ग्राह्य योग्य नहीं है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य का उचित मूल्यांकन करते हुए विधि सम्मत निष्कर्ष निकाले है, इसलिए प्रस्तुत दाण्डिक अपील में कोई विधिक बल नहीं है और अपील निरस्त की जाकर अपीलार्थी/अभियुक्त की दोषसिद्धि व दण्डाज्ञा को स्थिर रखा जाए।
10. दाण्डिक अपील के निराकरण करते समय अपील न्यायालय को भी साक्ष्य का मूल्यांकन करना आवश्यक है। जैसा कि **न्याय दृष्टांत स्टेट ऑफ एम0पी0 विरुद्ध बल्लोर उर्फ रामगोपाल 2006 फर्स्ट विधि भास्कर (एस0सी0) पेज-01** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मार्गदर्शन दिया गया है। इसलिए विचाराधीन अपील में मूल प्रकरण में आयी साक्ष्य का अपील स्तर पर भी मूल्यांकन करना आवश्यक है।
11. अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन किया गया, आलोच्य निर्णय एवं अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य का अध्ययन किया गया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियोजन की प्र0पी0-05 की



एफ0आई0आर0 मुताबिक बताए गए घटनाक्रम और कथानक को अभिलेख पर प्रस्तुत की गई अभियोजन की साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित मानकर धारा-25(1-बी)(ए) आयुध अधिनियम 1959 के तहत दोषसिद्धि निष्कर्षित करते हुए एक वर्ष के साश्रम करावास और पांच सौ रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है, अपील ज्ञापन में जो आधार लिए गए हैं और अंतिम तर्कों के माध्यम से जो बिन्दु उठाए गए हैं, उन्हें अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के साथ समेकित रूप से मूल्यांकित करते हुए यह अभिनिर्धारित करना होगा कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने जो निष्कर्ष निकाले हैं क्या वे पुष्टि योग्य हैं या सुस्थापित विधिक सिद्धांतों के प्रतिकूल होकर अपास्त किए जाने योग्य हैं, इस दृष्टि से जैसा कि ऊपर उल्लेखित किया गया है, अपील स्तर पर भी विचारण न्यायालय की तरह ही अभियोजन की साक्ष्य का मूल्यांकन करना होता है, इसलिए उपलब्ध साक्ष्य को विधिक दृष्टि से पुनः मूल्यांकित करते हुए निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता है।

12. परीक्षित साक्षियों में से विनोद शर्मा अ0सा0-05 ही स्वतंत्र साक्षी है शेष शासकीय सेवक होकर हितबद्ध साक्षी की श्रेणी के हैं, किंतु शासकीय सेवक नियोजन के अनुक्रम के तहत अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, इसलिए उनकी अभिसाक्ष्य को इस आधार पर अविश्वसनीय या अग्राह्य नहीं किया जा सकता है, कि वे शासकीय सेवक होकर पुलिसकर्मी हैं, किंतु जहां स्वतंत्र साक्षी का अभाव हो वहां पर पुलिस साक्षियों के अभिसाक्ष्य का प्रत्येक प्रकार के संदेह के परे होना आवश्यक होता है।
13. अभियोजन के कथानक मुताबिक थाना मालनपुर में पदस्थ उपनिरीक्षक डिंपल मौर्य के द्वारा रात्रि करबा गस्त हेतु मय शासकीय वाहन और पुलिस बल के थाने से जाकर गस्त करने के दौरान जब वह सुपरफैक्स फैक्ट्री के सामने पहुंची तो पुलिस की गाड़ी देखकर एक व्यक्ति छिपने लगा, जिसे पुलिसबल की मदद से घेरकर पकड़ा और तलाशी ली तो एक 315 बोर का देशी कट्टा मय लोडेड कारतूस के उसके पास मिला, जिससे लाइसेंस के बारे में पूछने पर लाइसेंस न होना बताने पर उससे जब्ती की गई और अवैध आग्नेय शस्त्र रखे पाए जाने से धारा-25, 27 आयुध अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर थाने लाकर अपराध की कायमी करना बताया है, मौके की कार्यवाही सुपरफैक्स फैक्ट्री के गेटमेन विनोद शर्मा और हमराह पुलिस आरक्षक इन्द्रसिंह को पंचसाक्षी बनाते हुए करना बताई है, ऐसी स्थिति में प्रकरण की कार्यवाही के सर्वाधिक महत्व के साक्षी उक्त तीनों हो जाते हैं, जिनमें उपनिरीक्षक डिंपल मौर्य अ0सा0-03 के रूप में आरक्षक इन्द्रसिंह अ0सा0-04 और विनोदशर्मा अ0सा0-05 के रूप में परीक्षित कराए गए हैं, जिनमें से विनोद शर्मा अ0सा0-05 ने अपने अभिसाक्ष्य में अभियोजन कथानक का कोई समर्थन नहीं किया है, उसने अभियुक्त को उसके सामने गिरफ्तार किए जाने या उससे कोई कोई वस्तु बरामद होने से इन्कार करते हुए प्र0पी0-06 का कथन भी पुलिस को देने से इन्कार किया है, प्र0पी0-03 के जब्तीपत्रक और प्र0पी0-04 के

गिरफ्तारी पत्रक पर उसने अपने हस्ताक्षर अवश्य स्वीकार किए हैं, इस तरह से अ०सा०-05 द्वारा मौके की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया गया है, इसलिए शेष साक्षी पुलिस अधिकारी कर्मचारी होने से उनके अभिसाक्ष्य का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना अपेक्षित हो जाता है।

14. मौके की कार्यवाही संबंधी प्र०पी०-03 एवं प्र०पी०-04 के दस्तावेजों का दूसरा पंचसाक्षी आरक्षक इंद्रसिंह अ०सा०-04 के अभिसाक्ष्य को देखा जाए तो उसने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है, कि दिनांक 06/04/14 को वह थाना मालनपुर में पदस्थ था, उक्त दिनांक को उपनिरीक्षक डिंपल मौर्य के साथ शासकीय वाहन से गस्त के लिए सुबह करीब 04:15 बजे गया था, उनके साथ आरक्षक चालक दिनेश शर्मा भी था, सुबह करीब 04:15 बजे जब वे फैक्ट्री एरिया में गश्त कर रहे थे और सुपरफैक्स फैक्ट्री के सामने से निकले तो पुलिस की गाड़ी को देखकर विजयराम भागा जिसे घेराबंदी करके पकड़ा था, फिर उसकी उपनिरीक्षक डिंपल मौर्य द्वारा तलाशी ली गई थी, तो उसकी कमर में बाईं तरफ बेल्ट के नीचे 315 बोर का एक कट्टा लगा मिला था, जिसे खोलकर देखा गया था, तो उसकी बेरल में एक 315 बोर का जिंदा कारतूस लगा मिला था, तब उससे नाम पता पूछा था तथा लाइसेंस मांगने पर लाइसेंस न होना बताया था, जिस पर से उपनिरीक्षक डिंपल मौर्य द्वारा कट्टा कारतूस की जब्ती की गई थी और प्र०पी०-03 का जब्तीपत्रक बनाया गया था, तथा विजयराम को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया था, तथा प्र०पी०-04 का गिरफ्तारीपत्रक तैयार कर उसे थाने ले गए थे, इसी आशय की कार्यवाही मुख्यपरीक्षण के अभिसाक्ष्य में मौके की कार्यवाहीकर्ता उपनिरीक्षक डिंपल मौर्य अ०सा०-03 द्वारा भी अपने अभिसाक्ष्य में करना बताया गया है।

15. आरक्षक इंद्रसिंह अ०सा०-04 ने कण्डिका-03 में रात्रि गस्त के लिए रात 12:00 बजे थाने से निकलना बताया है और हरीराम की कुड़िया तरफ फैक्ट्री में होते हुए गस्त करना बताया है, यह भी कहा है, कि अभियुक्त हरीराम की कुड़िया तरफ से आता हुआ दिखा जो अकेला था, पेंट शर्ट पहने था, कपड़ों का रंग वह नहीं बता सकता है, कण्डिका-05 में उसने यह भी कहा है, कि सुबह 04:00 बजे फैक्ट्री की शिफ्ट छूटने लगती है, तथा यह भी कहता है, कि पुलिस की गाड़ी देखकर अभियुक्त हरीराम की कुड़िया तरफ भागा था और करीब 100 मीटर भागा था, जिसे पीछे जाकर पकड़ लिया था, जबकि कण्डिका-03 में वह हरीराम की कुड़िया तरफ से अभियुक्त को आता हुआ देखना कहता है, जो दोनों ही विरोधाभासी तथ्य हैं और उक्त साक्षी यह स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, कि अभियुक्त हरीराम की कुड़िया तरफ से आता मिला या जाता मिला, अभिलेख पर यह भी स्पष्ट नहीं है, कि सुपरफैक्स फैक्ट्री मालनपुर में किस जगह पर स्थित है, हरीराम की कुड़िया तरफ है ऐसा भी उक्त साक्षी के अभिसाक्ष्य में स्पष्ट नहीं हुआ है।

16. अ०सा०-04 ने कण्डिका-06 में यह बताया है, कि सुपरफैक्स फैक्ट्री बन्द पड़ी है घटनास्थल पर कार्यवाही में करीब 30 मिनट का समय

लगा था, मौके पर कार्यवाही के समय सुपरफैक्स फैक्ट्री का गार्ड विनोदशर्मा आ गया था और उसी के सामने पूरी कार्यवाही हुई थी, जिसका विनोदशर्मा अ0सा0-05 ने समर्थन नहीं किया, अ0सा0-04 ने अपने अभिसाक्ष्य में पुलिस कथन प्र0डी0-01 से भी विरोधाभास प्रकट किया है और यह बताया है, कि हरीराम की कुइया तरफ अभियुक्त के भागने वाली बात उसने कथन में लिखाई थी, कथन ए0एस0आई0 राधेश्याम जाट ने लिया था, तथा उन्होंने उक्त बात न लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकता है, वह यह भी स्वीकार करता है, कि उपनिरीक्षक डिंपल मौर्य द्वारा कट्टा शील्ड नहीं किया गया था, न उसने प्र0डी0-01 के कथन में कट्टा शील्ड करने वाली बात लिखाई थी, ए0एस0आई0 राधेश्याम जाट अ0सा0-06 के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसने आरक्षक इन्द्र सिंह और साक्षी विनोद के उनके बताए अनुसार कथन विवेचना प्राप्त होने पर लेना कहा है, किंतु प्र0डी0-01 एवं प्र0पी0-06 के पुलिस कथनों में जो विसंगतियां उत्पन्न हुई हैं, उसके संबंध में उक्त विवेचक ने अपने अभिसाक्ष्य में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की है, जिससे वह औपचारिक स्वरूप का साक्षी हो जाता है और उसके अभिसाक्ष्य से कोई तथ्य प्रमाणित नहीं माने जा सकते हैं।

17. उपनिरीक्षक डिंपल मौर्य अ0सा0-03 ने अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्त के पकड़े जाने पर उसके आधिपत्य से बरामद बताए 315 बोर का कट्टा कारतूस की मौके पर जब्ती करते हुए कण्डिका 04 में टटनास्थल पर ही प्र0पी0-03 व 04 की लिखापट्टी स्ट्रीट लाइट के उजाले में करना कट्टे की माप स्केल से करते हुए जब्तीपत्रक में लेखबद्ध करना बताई है, यह स्वीकार किया है, कि प्र0पी0-03 पर सील नमूना विहित स्थान पर नहीं लगाया था, आग्नेयशस्त्र को शील्ड करने के बिन्दु पर उक्त साक्षिया का दिनांक 03/07/15 को पुनःपरीक्षण किया गया था, जिसमें उसने जब्तशुदा 315 बोर के कट्टे को आर्टिकल ए और जिंदा कारतूस को आर्टिकल बी अभियुक्त से बरामद करना बताया है और कण्डिका 09 में यह कहा है, कि उसने आर्टिकल ए के कट्टे को शीलबंद करने के पश्चात उसका शील नमूना जब्तीपत्र पर अंकित नहीं किया था, कण्डिका-10 में उसने कट्टा कारतूस शील्ड करना बताया है, जिसका समर्थन हमराह आरक्षक इन्द्रसिंह अ0सा0-04 नहीं करता है, प्र0पी0-03 के जब्तीपत्रक का अवलोकन किया जाए तो उसके कॉलम नंबर 13 में जब्त वस्तु के शील नमूने का स्थान रिक्त है, जिससे इस आशय की उपधारणा निर्मित होगी कि मौके पर कट्टा कारतूस विधिवत् शील्ड नहीं किया गया था, अन्यथा कॉलम नंबर 13 की पूर्ति की जाती, यदि यह माना जाए कि उपनिरीक्षक डिंपल मौर्य रात का समय होने से शील नमूना अंकित करना भूल गई तो उस आशय का नोट भी जब्तीपत्रक में नहीं लगाया गया है, न ही एफ0आई0आर0 में स्पष्टीकरण है, बल्कि न्यायिक अभिसाक्ष्य में वह मौके पर कट्टा कारतूस शील्ड करना बताती है, जिसके संबंध में सुदृढ साक्ष्य का प्रकरण में अभाव है, इसलिए इस बिन्दु पर अ0सा0-03 का अभिसाक्ष्य विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि अ0सा0-04 और अ0सा0-05 जो कि उक्त कार्यवाही के साक्षी हैं उनमें से किसी का भी समर्थन प्राप्त नहीं है।

18. घटनास्थल से थाने की दूरी के संबंध में भी आक्षेप किया गया है, प्र0पी0-05 की एफ0आई0आर0 में घटनास्थल से थाने की दिशा और दूरी पर कॉलम नंबर 05(अ) पूरी तरह से रिक्त है प्र0पी0-03 के जब्तीपत्रक और प्र0पी0-04 के गिरफ्तारीपत्रक में भी दूरी के बारे में उल्लेख कॉलम में नहीं है, इसलिए इस बिन्दु पर केवल मौखिक साक्ष्य को देखा जाए तो परिवादी डिंपल मौर्य अ0सा0-03 ने अपने अभिसाक्ष्य की कण्डिका-05 में घटनास्थल से थाने की दूरी ढाई तीन किलोमीटर बताई है, जबकि हमराह आरक्षक इन्द्र सिंह अ0सा0-04 ने अपने अभिसाक्ष्य में कण्डिका-06 में जो दूसरा अंतिम पैरा है क्योंकि कण्डिका 05 और 06 दो-दो बार उसकी कथनशीट पर अंकित किया गया है, इसलिए अंतिम द्वितीय पैरा में उसने घटनास्थल से थाने की दूरी मात्र एक किलोमीटर बताते हुए ढाई से तीन किलोमीटर दूरी होने से साफ तौर पर इन्कार किया है, अर्थात् दूरी के बिन्दु पर अ0सा0-03 और अ0सा0-04 की स्पष्ट रूप से विरोधाभाषी अभिसाक्ष्य है, अन्य किसी साक्षी के अभिसाक्ष्य में दूरी बाबत कोई तथ्य नहीं आए है और घटनास्थल का कोई नजरीनक्शा नहीं है, न ही एफ0आई0आर0 में दूरी अंकित है, न रोजनामचा सान्हा रवानगीग वापिसी का पेश किया गया है, बल्कि दूरी के बिन्दु पर स्पष्ट विरोधाभाष को देखते हुए बचाव पक्ष के इस तर्क को बल मिलता है, कि वास्तव में बताए गए घटनास्थल पर न तो अभियुक्त को पकड़ा गया न वहां कोई कार्यवाही हुई बल्कि थाने पर ही संपूर्ण लिखापट्टी कर ली गई है, जिसे अ0सा0-04 की इस स्वीकारोक्ति से भी बल मिलता है, कि कट्टा कारतूस को थाने पर शील्ड किया गया था। इस बिन्दु पर भी विरोधाभाषी अभिसाक्ष्य होने से अ0सा0-03 विश्वसनीय साक्षी नहीं रह जाती है, इसलिए न्याय दृ० **विनोद कुमार विरूद्ध स्टेट ऑफ एम0पी0-1992 भाग-02 एम0पी0जे0आर0 पैज 247** में प्रतिपादित यह सिद्धांत कि पुलिस साक्षियों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है, उपरोक्त परिस्थितियों में अ0सा0-03 एवं 04 के अभिसाक्ष्य के संदर्भ में अभियोजन को लाभ नहीं पहुंचाता है।

19. घटना रात्रि कस्बा भ्रमण के दौरान की बताई गई है, ऐसे में थाने से कस्बा भ्रमण को रवाना होने संबंधी रोजनामचा सान्हा रवानगी तथा मौके की कार्यवाही पश्चात थाना वापिस आने संबंधी रोजनामचा सान्हा वापिसी प्रकरण के लिए सर्वाधिक महत्व के दस्तावेज हो जाते हैं क्योंकि पुलिस साक्षियों की कार्यवाही रोजनामचा सान्हा से स्पष्ट होती है, कि उनके द्वारा कब क्या कार्यवाही की गई। रात 12:00 बजे थाने से रवानगी बताई गई है, और प्र0पी0-03 व 04 मुताबिक कार्यवाही सुबह 04:15 बजे और 04:30 बजे की बताई गई है, थाना वापिसी सुबह 05:00 बजे की बताई गई है, जब एफ0आई0आर0 लेखबद्ध की गई।

20. इस संबंध में साक्ष्य को देखा जाए तो उपनिरीक्षक डिंपल मौर्य अ0सा0-03 के अनुसार सुबह करीब 03:45 बजे फैंक्ट्री एरिया में गस्त करते हुए वह सुपरफैक्स फैंक्ट्री के सामने पहुंचना बताती है, तब एक अभियुक्त पुलिस की गाडी को देखकर छिपने लगा, जिसे पुलिस की मदद से पकड़ा



गया, जबकि अ0सा0-04 के मुताबिक सुपरफैक्स फैक्ट्री के सामने कितने बजे पहुंचे इस बारे में उसने कोई समय नहीं बताया है, बल्कि फैक्ट्रीयों की शिफ्ट सुबह चार बजे समाप्त होने की बात कण्डिका-05 में बताई है, जिससे अ0सा0-03 कण्डिका-04 में इन्कार करती है, और सुबह छः बजे शिफ्ट खत्म होने की बात कहती है। इस बिन्दु पर भी दोनों साक्षी विरोधाभासी है और अ0सा0-03 मौके की कार्यवाही में 15-20 मिनट का समय लगना बताती है, जबकि अ0सा0-04 आधा घंटे का समय लगना बताता है, अ0सा0-03 के मुताबिक वह थाने पर सुबह 04:30 बजे या 04:45 बजे आ गई थी, जबकि 04:30 बजे की तो प्र0पी0-04 मुताबिक गिरफ्तारी ही है, प्र0पी0-03 एवं 04 में 15 मिनट का अंतराल है अर्थात् प्र0पी0-03 एवं 04 की लिखापढी में लगभग 15 मिनट का समय लगना दर्शित होता है, रोजनामचा सान्हा के अभाव में सटीक समय स्पष्ट नहीं हुआ है, किंतु मौके की कार्यवाही में लगा समय एवं थाने पहुंचने में लगे समय के दोनों बिन्दुओं पर अ0सा0-03 और 04 विरोधाभासी है, जो उनके अभिसाक्ष्य को संदिग्ध बनाता है, अ0सा0-03 के द्वारा कण्डिका 10 में महत्वपूर्ण रूप से यह स्वीकारोक्ति भी की गई है, कि **पुलिस अधीक्षक द्वारा विशेष रूप से जिला भिण्ड में थाना प्रभारियों को शराब और कट्टा जब्ती के संबंध में टारगेट दिया जाता है**, हालांकि वह इसी टारगेट के तहत झूठा मामला बनाए जाने से अवश्य इन्कार करती है, किंतु उक्त स्वीकारोक्ति से बचाव पक्ष के इस आधार को अवश्य बल प्राप्त होता है, कि अभियुक्त को असत्य रूप से अपराध में संलिप्त किया गया है, क्योंकि अभियुक्त किस इरादे से सुपरफैक्स फैक्ट्री के निकट घूम रहा था, इस बारे में उससे कोई ज्ञापन या जानकारी नहीं ली गई है, जो कि बताई गई घटना को कड़ी के रूप में जोड़ती हो।

21. अभिलेख पर बचाव पक्ष की ओर से अभियोजन के साक्षियों को कोई सुझाव नहीं दिया गया है, कि अभियुक्त पेंट शर्ट नहीं पहनाता था, बल्कि धोती कुर्ता पहनता है, अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्र0पी0-04 के गिरफ्तारीपत्रक एवं दिनांक 06/04/14 के न्यायिक रिमांड के आवेदनपत्र पर अभियुक्त के चश्मा फोटो के आधार पर यह तर्क अवश्य किया है, कि अभियुक्त धोती कुर्ता पहनता है, पेंट शर्ट नहीं पहनता इसलिए घटना झूठी है, किंतु यह तर्क स्वीकार किए जाने योग्य इस कारण नहीं है, कि न्यायिक रिमांड का आवेदनपत्र जो कि अभिलेख का अंश है और उसका न्यायिक नोटिस लिया जा सकता है, उस पर अभियुक्त का जो छायाचित्र चश्मा है, वही प्र0पी0-04 के गिरफ्तारीपत्रक है दोनों छायाचित्र पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ है पूरे शरीर का फोटोग्राफ न होने से छायाचित्र में पहने कपड़ों से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, कि अभियुक्त/अपीलार्थी धोती कुर्ता पहने था या पेंट शर्ट पहने था और इस बारे में कोई सुझाव भी नहीं दिया गया है, इसलिए उक्त तर्क अमान्य किया जाता है।

22. अ0सा0-03 लगायत 06 के अभिसाक्ष्य का जो मूल्यांकन ऊपर वर्णित अनुसार मौके की कार्यवाही के संदर्भ में किया गया है, उसमें प्रत्येक

प्रकार की विरोधाष और विसंगतियां उत्पन्न हुई है, रोजनामचा सान्हा रवानगी वापिसी का पूर्णतः अभाव है ऐसे में प्र0पी0-03 एवं 04 की कार्यवाही दस्तावेजों में वर्णित अनुसार वास्तविकता में हुई यह युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित नहीं होता है और उसके संबंध में अ0सा0-03 लगायत अ0सा0-05 दुर्बल साक्षी है, और अ0सा0-03 एवं 04 विश्वसनीय साक्षी नहीं है, जो कि कथानक जो कि कथानक का आधार है।

23. जहां तक प्र0पी0-05 की एफ0आई0आर0 का प्रश्न है, प्र0पी0-05 की एफ0आई0आर0 प्र0पी0-03 एवं 04 पर आधारित है, किंतु उसका वृत्तांत अ0सा0-03 एवं 04 के विश्वसनीय साक्षी न होने से प्रमाणित नहीं हुआ है, इसलिए प्र0पी0-05 को उपनिरीक्षक डिंपल मौर्य अ0सा0-03 के अभिसाक्ष्य से प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

24. अन्य परीक्षित साक्षियों में प्रधान आरक्षक राजकिशोर अ0सा0-01 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 10/04/14 को पुलिस लाइन भिण्ड में प्रधान आरक्षक आर्म्स महर्र के पद पर पदस्थ रहते हुए थाना मालनपुर के अपराध क्रमांक 89/14 में जब्तशुदा 315 बोर के देशी कट्टे एवं जिंदा कारतूस की जांच करते हुए कट्टे का एक्शन चालू हालत में होने से फायर किए जाने योग्य होने और कारतूस के पैदी पर 8 एम0एम0के0एफ0 अंकित होना तथा कारतूस जीवित होना बताते हुए प्र0पी0-01 की जांच रिपोर्ट तैयार करना बताया है, और आर्म्स परीक्षण से संबंधित छःमाही प्रशिक्षण भी प्राप्त करना बताया है, उसके अभिसाक्ष्य में अन्यथा कोई तात्विक स्वरूप की विसंगति नहीं है, जिससे प्र0पी0-01 की जांच रिपोर्ट प्रमाणित होती है, और उससे केवल यह प्रमाणित होता है, कि जो कट्टा कारतूस थाना मालनपुर की ओर से उसे उसे परीक्षण हेतु भेजे गए वह कट्टा 315 बोर का होकर चालू हालत में होकर फायर योग्य था, और कारतूस जीवित था, किंतु वह अभियुक्त/अपीलार्थी से ही उसके आधिपत्य व संज्ञान से बरामद किया गया था, ऐसा ऊपर वर्णित विश्लेषण के आधार पर संदेह से परे प्रमाणित नहीं हुआ है, इसलिए उक्त साक्षी औपचारिक स्वरूप का साक्षी हो जाता है।

25. योगेन्द्र सिंह अ0सा0-02 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 09/05/14 को जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के कार्यालय में आर्म्स लिपिक के पद पर पदस्थ रहना बताते हुए पुलिस अधीक्षक के पत्र क्रमांक 273 दिनांक 23/04/14 के साथ थाना मालनपुर के अपराध क्रमांक 79/14 में जब्तशुदा आयुध एवं पुलिस केस डायरी प्राप्त होने पर जिला दण्डाधिकारी के समक्ष उसे प्रस्तुत करने पर उनके द्वारा अवलोकन करने करने के पश्चात तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी श्री एम0सीव्ही0 चक्रवर्ती द्वारा अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्र0पी0-02 प्रदान करना बताया है, जिस पर उसने अपने हस्ताक्षर भी बताए हैं, और तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी के भी हस्ताक्षर उनके अधीनस्थ पदस्थ रहने के कारण पहचाने हैं और इस बात से इन्कार किया है, कि अभियोजन स्वीकृति का प्रफार्मा डी0एम0 कार्यालय में रहता है, उसी में स्वीकृति देते हैं, बल्कि उसने प्रथक से

अभियोजन स्वीकृति टंकित किया जाना बताया है, इस बिन्दु पर कोई सुझाव या खण्डन नहीं आया है, कि तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी द्वारा आग्नेय शस्त्र का अवलोकन नहीं किया गया, या पुलिस केस डायरी का अवलोकन नहीं किया गया, इसलिए प्र०पी०-02 की अभियोजन में जावक क्रमांक और दिनांक हस्तलिपि में होने के आधार पर कोई संदेह नहीं माना जा सकता है, और यह प्रमाणित होता है, कि अभियोजन स्वीकृति प्रदान किए जाने में तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी द्वारा न्यायिक विवेक का उपयोग किया गया था क्योंकि आग्नेय शस्त्र सीलबंद अवस्था में प्राप्त होना, खुलवाकर देखे जाने का स्पष्ट उल्लेख प्र०पी०-02 में है, इसलिए प्र०पी०-02 की अभियोजन स्वीकृति भी वैधानिक रूप से प्रदत्त की जाना पाया जाता है, किंतु प्र०पी०-01 और 02 की उपयोगिता तभी है जबकि अभियुक्त/अपीलार्थी से आग्नेय शस्त्र की बरामदगी युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित हो, जबकि विचाराधीन मामले में बरामदगी संदिग्ध है और बरामदगी के संबंध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय कण्डिका-08 एवं 09 में जो निष्कर्ष निकाले हैं, वे साक्ष्य के और विधि के अनुरूप होना नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि रोजनामचा सान्हा रवानगी वापिसी के बिन्दु पर, मौके की कार्यवाही, आग्नेय शस्त्र शील्ड किए जाने के बिन्दु पर, थाने से घटनास्थल की दूरी, थाने पहुंचने की समयावधि के बिन्दु पर अ०सा०-03 और अ०सा०-04 विरोधाभासी रहे हैं, जिन्हें विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यात्मक दृष्टि से मूल्यांकित नहीं किया है, इसलिए दोषसिद्धि के बिन्दु पर आलोच्य निर्णय की कण्डिका-15 में निकाला गया अंतिम निष्कर्ष पुष्टि योग्य नहीं माना जा सकता है, अतः दोषसिद्धि के बिन्दु पर प्रस्तुत दाण्डिक अपील सद्भावी पाई जाकर स्वीकार योग्य है और दोषसिद्धि ही वैधानिक नहीं है, इसलिए दण्डाज्ञा स्वमेव ही अपास्त होगी।

26. इस प्रकार से उपरोक्त समग्र बिन्दुवार साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है, कि अभियोजन का मामला संदिग्ध है और अभियोजन विश्वसनीय साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह के परे यह प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है, कि दिनांक 06/04/14 को सुबह करीब 04:15 बजे अभियुक्त/अपीलार्थी विजयराम अपने आधिपत्य व संज्ञान में 315 बोर का देशी कट्टा मय जिंदा कारतूस के रखे पाया गया, इसलिए लाइसेंस न होना निर्मूल हो जाता है, परिणामस्वरूप प्रस्तुत दाण्डिक अपील स्वीकार की जाती है, और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय दिनांकित 05/11/15 को अपास्त करते हुए आयुध अधिनियम 1959 की धारा-25(1-बी)(ए) में की गई दोषसिद्धि एवं एक वर्ष की सश्रम तथा 500/-रुपए के अर्थदण्ड की दण्डाज्ञा को अपास्त करते हुए, उक्त अपराध से अभियुक्त/अपीलार्थी विजयराम को मामला संदिग्ध होने से संदेह के आधार पर दोषमुक्त किया जाता है।

27. अपील में प्रस्तुत अभियुक्त/अपीलार्थी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं, साथ ही आदेशित किया जाता है, कि अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जमा किया गया 500/-रुपए का अर्थदण्ड दाण्डिक पुनरीक्षण अवधि पश्चात उसे विधिवत

वापिस किया जाए, दांडिक पुनरीक्षण होने की दशा में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण हो।

28. जव्वशुदा आर्टिकल ए और बी के आग्नेय शस्त्र के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की कण्डिका 21 को यथावत रखा जाता है।
29. निर्णय की एक प्रति डी0एम0 भिण्ड को भेजी जावे।
30. निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भेजा जाए।

दिनांक: 17/03/2017

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य)  
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)  
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)